

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर परिवहन निगमों की बसों पर दिल्ली में अनुमति पर रोक और प्राइवेट स्वामियों की बसों को अनुमति, क्या परिवहन आयुक्त दिल्ली द्वारा जारी आदेश सही और न्यायसंगत है ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) द्वारा 27 नवम्बर 2024 को निदेशक तकनीकी सीक्यूएम और विशेष आयुक्त परिवहन दिल्ली को पत्र लिखकर उदाया महत्वपूर्ण मुद्दा और दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम की डीजल मानक IV बसों की मांगी उसी तर्ज पर अनुमति उपरोक्त मुद्दे पर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वह बहुत ही तर्कसंगत और न्यायिक है और सिद्ध करता है कि दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी और निदेशक तकनीकी सीक्यूएम दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से अधिक प्राइवेट बड़े वाहन ऑपरेटर्स के हित को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया गया है।

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15-11-2024 में वर्णित बिंदु-04 में उल्लिखित किया गया है कि ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टैपो ट्रेवलर को छोड़कर) उक्त आदेश से स्पष्ट है कि आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित डीजल बस स्वामी किसी भी मानक चाहे वह यूरो III हो या यूरो IV या यूरो VI को दिल्ली में प्रवेश कर सकता है।

जाने क्या लिखा अपने पत्र के माध्यम से उत्तराखंड महाप्रबंधक ने, उत्तराखंड परिवहन निगम, पत्रांक 529 / एचक्यू/संचालन- 11/2023, दिनांक 27 नवंबर 2024



सेवा में,

1. निदेशक तकनीकी सीक्यूएम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। 17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001
एससीओटी (4) टीपीटी 64953 सभी/2024/ दिनांक 29/11/24
2. विशेष आयुक्त (परिवहन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली 110054
विषय- दिल्ली-एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-IV (गंभीर वायु गुणवत्ता) के अंतर्गत कार्रवाई का कार्यान्वयन - उठाए जाने वाले कदम। महोदय,


उपरोक्त विषयक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या/दिनांक 15-11-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में वर्णित बिंदु-04 में उल्लेख किया गया है कि ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टैपो ट्रेवलर को छोड़कर)। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक/स्वामी किसी भी प्रकार की बस लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। महोदय उपरोक्त आदेश के द्वारा आल इंडिया टूरिस्ट परमिट से सम्बन्धित बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है तथा वर्तमान में उक्त परमिटों पर कई निजी संचालकों/कम्पनी की बीएस IV मॉडल की डीजल बसें दिल्ली में आईएसबी0टी0, कश्मीरी गेट / आनन्द विहार व अन्य स्थानों से संचालित हो रही हैं, किन्तु उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अंतरराज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगायी गई है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि आल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस संचालक / स्वामी की भांति उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बीएस IV मॉडल की डीजल बसों को भी अनुमति प्रदान की जाय अथवा आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक/स्वामियों की बीएस IV, III मॉडल की डीजल बसों का आईएसबी0टी0, कश्मीरी गेट / आनन्द विहार दिल्ली से बस संचालन पर भी तत्काल रोक लगायी जाय।

भवदीय
(पवन मेहरा) महाप्रबंधक (संचालन) निगम मुख्यालय

उपरोक्त आदेश को अब आप ही सोचे समझे की दिल्ली परिवहन आयुक्त तकनीकी निदेशक सीक्यूएम को साथ मिलाकर जो प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से कर रहा है क्या वह आम जनता के हित में है और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सही सख्त आदेश था या प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित डीजल बस स्वामियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से था।

अगर रोक लगाना आवश्यक है तो बसें निगम की हो या प्राइवेट स्वामी की रोक लगानी चाहिए पर एक पर रोक और दूसरे को खुली छूट तो क्या प्रदूषण नियंत्रित हो पाएगा, बड़ा सवाल ?



नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई स्पीड लिमिट, 4000 रुपये तक का कटेगा चालान



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक इन दोनों एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की गति सीमा में बदलाव किया गया है। यह नियम हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग लागू होंगे।

स्पीड लिमिट में बदलाव

1. यमुना एक्सप्रेसवे पर - हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट को 100 kmph से घटाकर 75 kmph किया गया है।
- भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 80 kmph से घटाकर 60 kmph कर दी गई है।

2. नोएडा-ग्रैंटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर - हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट को 100 kmph से घटाकर 75 kmph किया गया है।
- भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 80 kmph से घटाकर 60 kmph कर दी गई है।

प्रदूषण के खतरों से कैसे बचें? जानिए डॉक्टरों के सुझाव

इशिका मुख्य रिपोर्टर रंजी झारखंड

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, सांस लेने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। हवा में मौजूद प्रदूषण हमारे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, और पहले से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर।

हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे छोटे-छोटे कण, जो वाहन उत्सर्जन, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ, और जंगल की आग से पैदा होते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर तक जा सकते हैं। यह न सिर्फ सांस की दिक्कतें बढ़ाते हैं, बल्कि फेफड़ों के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी पैदा करते हैं।

डॉक्टर प्रभु प्रसाद मणिपाल हॉस्पिटल गोवा :- प्रदूषण का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ-साथ उन लोगों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिनकी शारीरिक क्षमता पहले से कमजोर है। नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी, और अस्थमा का बढ़ना आम समस्याएँ बनती जा रही हैं।

लोकल घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय उठाकर आप अपने और अपने परिवार के फेफड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं, कैसे।

1. **वायु गुणवत्ता की जांच करें :-** हर दिन की शुरुआत स्थानीय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जांचने से करें। अगर हवा खराब हो, तो बाहर जाने से बचें।

2. **भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचें :-** सर्दियों में भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में पैदल चलने से बचें। गर्मियों में दोपहर के समय प्रदूषण ज्यादा होता है, इसलिए सुबह-सवेरे बाहर जाएं।

3. **वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करें :-** गाड़ी चलाने से पहले सोचें। पैदल चलना, साइकिलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि आपकी सेहत भी सुधरेगी।



4. **गाड़ियों का सही रखरखाव करें :-** कारपूलिंग करें, गाड़ी स्टार्ट रहने पर इंजन बंद करें, और अपने वाहन की समय पर सर्विसिंग करवाएं।

5. **ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं :-** अपने घर में ऊर्जा की खपत कम करें या रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। कूड़ा-कचरा या लकड़ी जलाने से बचें।

प्रदूषण से बचाव के ये छोटे-छोटे कदम न केवल आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखेंगे, बल्कि आपके आस-पास की हवा को भी साफ बनाएंगे। तो आइए, मिलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों को भी जागरूक करें।

दिल्ली परिवहन विभाग की आई.टी. शाखा का जादू दुनियां में सबसे निराला

संजय बाटला

नई दिल्ली। आपकी जानकारी हेतु बता दें दिल्ली परिवहन विभाग की आई.टी शाखा जो करके दिखा सकती हैं वह दुनियां का बड़े से बड़ा जादूगर भी करके नहीं दिखा सकता, कारण आज की तारीख में दिल्ली आई.टी शाखा के सर्वोत्तम पद पर स्वयं परिवहन आयुक्त कार्यरत हैं और उनकी कृपा दृष्टि आई.टी शाखा के अधिकारियों पर बनी रहना स्वाभाविक है।

*किसी वाहन की फिटनेस हो जाने के बाद भी वाहन मालिक को अगले कार्य करने के लिए आनलाइन आवेदन पर प्रयोग की जा चुकी फिटनेस

फीस पौंडिंग दिखाकर काम नहीं करने देना,
*वाहन की इश्योरेंस होते हुए भी बिना इश्योरेंस वाहन को दिखा देना
*वाहन के लिए प्रयोग होने वाले किसी श्रेणी के परमिट के जमा हो जाने के बाद दूसरी श्रेणी सम्बन्धित फिटनेस और वाहन प्रमाण पत्र में श्रेणी बदलाव के बावजूद नई श्रेणी के लिए परमिट आवेदन नहीं करने देना
*नए पंजीकरण होने वाले वाहनों के पंजीकरण पर बिना इश्योरेंस दिखाकर पंजीकरण नहीं होने देना
*वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों में पहले से लगे वीएलटीडी डिवाइस की जगह अन्य किसी

कम्पनी का वीएलटीडी डिवाइस लगवाने पर किसी को दो मिनट में अनुमति और किसी को धक्के/चक्कर लगाने पर भी कई दिनों तक रोक रखना
*किसी भी समय आनलाइन आवेदन सेवा को रोक देना जैसे महत्वपूर्ण जादू करते रहना दिल्ली परिवहन विभाग की आई.टी शाखा का प्रतिदिन का काम है।

अब आप ही सोचें कि इस तरह के जादू करने वाली शाखा और उस शाखा के प्रबंधक केसिर पर हो आला अधिकारी का हाथ तो किन्तना सुखद होगा दिल्ली कि जनता के लिए आनलाइन फ्री प्री आवेदन प्रक्रिया

